

CERTIFICATE

This is certified that an enquiry has been carried out in connection with the scheme construction of Bham Medium Irrigation Project Tehsil Khandwa, District Khandwa, surveyed and proposed by the water resources department.

Following villages are benefited by this scheme.

1. Rajgarh
2. Ambapat
3. Pipliya Kalan
4. Jalkuwa
5. Sutar Kheda
6. Puranpura
7. Bhagwanpura
8. Ranjhani
9. Pokhar
10. Golkheda
11. Piplod
12. Balwada
13. Itwa
14. Jirwan

1. The land and command area of above villages is suitable for irrigation. There is need for irrigation and crop pattern is appropriate.
2. The cultivators of the village in the command area are aware of the benefits from irrigation and will take water for irrigation as and when the same available to them and that there will be no difficulty in the matter of utilization.
3. The cultivators are willing to pay water rates fixed by State Government.

I, therefore, recommend the scheme.


(P.K. Brahmne)
Sub Divisional Officer
Sukta H/W Sub Dn. No. 6
Borgaon


(S.M. Chaturvedi)
Executive Engineer
Water Resources Division
Khandwa


Collector
Distt. Khandwa

:: कार्यालय कलेक्टर, जिला खण्डवा ::

:: आदेश ::

प्रकरण क्रमांक 50-अ-59/2016-17

ग्राम- सुरगांव निपानी तहसील खण्डवा

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा ने पत्र क्रमांक 2496, दिनांक 17.07.2017 प्रेषित कर यह प्रतिवेदित किया है कि निर्माणाधीन भाम मध्यम परियोजना के डूब में आने वाली वन भूमि 101.00 हे० एवं राजस्व वन भूमि 47.75 हे० इस प्रकार कुल 148.75 हेक्टेयर गैर वन भूमि की वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवश्यकता है, जिस हेतु ग्राम सुरगांव निपानी तहसील खण्डवा अंतर्गत खसरा नंबर 13,20,31,33,34,35,50,51, एवं 52 कुल 154.78 हेक्टेयर भूमि का चयन किया जाकर दिनांक 13.07.2017 को अनु-विभागीय अधिकारी, वन, उप वनमण्डल, खण्डवा के साथ अनु-विभागीय अधिकारी सुक्ता शीर्ष कार्य उपसंभाग क्रं 06 बोरगांव द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। डूब प्रभावित वन भूमि रकबा 148.75 हेक्टेयर के एवज में प्रस्तावित 09 खसरा नम्बरों की कुल भूमि 154.78 हेक्टेयर में से 148.75 हेक्टेयर राजस्व भूमि वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित की जाए।

2 आवेदक/विभाग से प्राप्त आवेदन पत्र की जांच तहसीलदार, खण्डवा द्वारा की गई, जिसमें उल्लेख किया गया कि जल संसाधन विभाग खण्डवा की निर्माणाधीन भाम मध्यम परियोजना के डूब में आने वाली 148.75 हेक्टेयर वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के एवज में ग्राम सुरगांव निपानी, तहसील खण्डवा की भूमि सर्वे क्रमांक 13 रकबा 12.81, सर्वे क्रमांक 20 रकबा 9.91 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 31 रकबा 11.03 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 32 रकबा 10.00 हेक्टेयर में से पैकी रकबा 1.22 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 33 रकबा 20.00 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 34 रकबा 20.00 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 35 रकबा 20.14 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 50 रकबा 20.00 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 51 रकबा 17.44 हेक्टेयर में से पैकी रकबा 15.75 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 52 रकबा 23.45 हेक्टेयर में से पैकी रकबा 17.89 हेक्टेयर कुल सर्वे नम्बर 10 कुल रकबा 164.78 हेक्टेयर में से पैकी रकबा 148.75 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित की जा सकती है। उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनु-विभागीय अधिकारी, खण्डवा ने भी सहमति व्यक्त की है।

3 अतः तहसीलदार, खण्डवा द्वारा की गई जांच एवं अनु-विभागीय अधिकारी, खण्डवा द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर जल संसाधन विभाग खण्डवा की निर्माणाधीन भाम मध्यम परियोजना के डूब में आने वाली 148.75 हेक्टेयर वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के एवज में ग्राम सुरगांव निपानी, तहसील खण्डवा की भूमि सर्वे क्रमांक 13 रकबा 12.81, सर्वे क्रमांक 20 रकबा 9.91 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 31 रकबा 11.03 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 32 रकबा 10.00 हेक्टेयर में से पैकी रकबा 1.22 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 33 रकबा 20.00 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 34 रकबा 20.00 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 35 रकबा 20.14 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 50 रकबा 20.00 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 51 रकबा 17.44 हेक्टेयर में से पैकी रकबा 15.75 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 52 रकबा 23.45 हेक्टेयर में से पैकी रकबा 17.89 हेक्टेयर कुल सर्वे नम्बर 10 कुल रकबा 164.78 हेक्टेयर में से पैकी रकबा 148.75 हेक्टेयर भूमि मू-जल/नाला, वन संरक्षक, सामान्य वन मण्डल, खण्डवा को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र 4-1 की कड़िका 36 के तहत हस्तांतरित की जाती है।



पृ० क्रमांक 11966 / वाचक कले. / 2017
प्रतिलिपि:


(अभिषेक सिंह)
कलेक्टर

जिला खण्डवा.
खण्डवा, दिनांक 22.08.2017.

//2//

- 2 वन संरक्षक, सामान्य वनमण्डल, खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3 अनु विभागीय अधिकारी, राजस्व, खण्डवा की ओर मय मूल प्रकरण के संलग्न कर लेख है कि वे शासकीय अभिलेख में आवश्यक दुरुस्ती कराकर संशोधित खसरा-नक्शा प्रकरण में संलग्न करते हुए प्रकरण अभिलेखागार में जमा किए जाने हेतु वापिसा करें।
- 4 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा की ओर सूचनार्थ।
- 5 तहसीलदार, तहसील खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।




कलेक्टर
जिला खण्डवा.